83

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1421—दो/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—09—2004 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 287/निगरानी/2003—2004.

.....

1—श्रीमती सियाकुमारी पत्नी स्व0 लालबिहारी सिंह
2—शिवेन्द्र बहादुरसिंह
3—देवेन्द्र बहादुरसिंह
4—तीर्थेन्दु बहादुर सिंह
5—मृगेन्द्र बहादुर सिंह
6—कोमल प्रताप सिंह
पुत्रगण स्व0 लालबिहारी सिंह
7—श्रीमती गीता कुमारी पत्नी राजेन्द्र बहादुरसिंह
निवासीगण ग्राम लगरगंवा तहसील नागोद
जिला सतना म0प्र0
8—श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी नरेन्द्र बहादुर सिंह
निवासी ग्राम उर्दना तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0
9—श्रीमती निशा सिंह पुत्री स्व0 लाल बिहारी सिंह
निवासी ग्राम अहिरगांव तहसील अमरपाटन
जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कार्यपालन अधिकारी
लक्षमणबाग रीवा म0प्र0

———अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0 के0 श्रीवास्तव पैनल अभिभाषक, अनावेदक

//2//प्रकरण क्रमांक निगरानी 1421–दो/2004

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालक अधिकारी लक्ष्मणबाग रीवा में तहसीलदार अमरपाटन को दिनांक 8.9.77 को आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम जोहारी कटरा स्थिति लक्ष्मण बाग की भूमि तालब एवं मंदिर में श्री लाल बिहारी सिंह निवासी अहिरगंज अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः उनका कब्जा हटाया जाय ताकि लक्ष्मणबाग की संपत्ति जो की है वह शासन की भूमि सुरक्षित रहे। उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार प्रभारी जोहारी कटरा में धारा 248 के तहत विधिवत सुनवाई कर ग्राम जोहारी कटरा की कुल किता 17 रकवा 48.04 एकड़ शासन की संपत्ति मानते हुये आवेदक लालबिहारी सिंह निवासी अहिरगांव का अनाधिकृत कब्जा सिद्व होने पर बेदखली आदेश पारित किया गया। तथा नायब तहसीलदार ने प्रकरण में आवेदक के विरूद्व अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में भेजा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के विरूद्व 5000/–रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया गया, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने कब्जा आवेदक का अनाधिकृत से माना है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण पर रूपये 5000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया

गया है, अपर आयुक्त ने भी प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर ही समाप्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण कमांक 287/निगरानी/2003–2004 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2004 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरांनी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर